रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1993/चैत्र 26, 1915
No. 76] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 1993/CHAITRA 26, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1993

संख्या 15/15/93-प्रशा.-4:—भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा, भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा तथा मंत्रालय के अंतर्गत समस्त माध्यम एककों और संगठनों के विभिन्न कार्यकारी समूहों एवं एकल पदों सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संवर्गों को सरल और कारगर बनाने के प्रश्न पर पिछले कुछ समय से विचार किया जाता रहा है। मंत्रालय के समस्त माध्यम एककों और संगठनों की सेवाओं और संवर्गों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त समिति का गठन निम्नांकित प्रकार से किया जाता है :—

1.	श्री यू. सी. अग्रवाल	अध्यक्ष (सेवानिवृत्त सचिव, कार्मिक विभाग)
2.	लेफ्टि. जनरल के. बलराम	सदस्य (सेवानिवृत्त ऐडजुटेंट जनरल)
3.	श्रीमती वी. एस. रमा देवी	सदस्य (सेवानिवृत्त सचिव, विधायी विभाग)
4.	डा. एन. भास्कर राव	सदस्य (मीडिया विशेषज्ञ
5.	श्री गिरीश कर्नाड	सदस्य (अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी)
6.	श्री एस. सी. माहालिक, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
7.	श्री का. अ. वरदन, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
8.	श्री एस. के. मल्होत्रा अपर महानिदेशक (प्रशा.), दूरदर्शन महानिदेशालय।	सदस्य-सचिव

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नांकित प्रकार के होंगे :

(क) सेवाओं, संवर्गों, समस्त माध्यम एककों और संगठनों के विभिन्न कार्यकारी समूहों और सकल पदों की वर्तमान स्थिति और संरचना की छानबीन और जांच करना तथा उन्हें बेहतर संवर्ग प्रबंधन के लिए अनुकूल ढंग से पुनः संरचित करने हेतु उपाय सुझाना ;

(ख) अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त प्रशिक्षण पद्धतियों और सुविधाओं के संदर्भ में समस्त माध्यम एककों और संगठनों की सेवाओं, संवर्गों और पदों की वर्तमान स्थिति की छानबीन करना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के ठोस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरूपण करने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाना ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में व्यावसायिकता की अपेक्षित भावना भरी जा सके ;

(ग) मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न माध्यम एककों और संगठनों के बीच तथा भिन्न-भिन्न स्कन्धों के विभिन्न अधिकारियों तथा माध्यम एककों, और संगठनों के कार्यालयों के बीच तथा इनके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के बीच प्रशासनिक और वित्तीय दोनों प्रकार की शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन का अध्ययन करना तथा तंत्र के सहज कार्य संचालन और अधिकतम दक्षता प्राप्त किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रत्यायोजन और अन्य परिवर्तनों को सुझाना,

(घ) ऐसी पद्धतियों का सुझाव देना जिनके द्वारा मंत्रालय के अधीन समस्त माध्यम एककों/संगठनों में बेहतर प्रणाली प्रबंध उपलब्ध कराया जा सके ; और

(ङ) क्षेत्रीय प्रचार संगठन तथा गीत और नाटक प्रभाग की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना तथा इन माध्यम एककों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाना।

यदि सरकार बाद में निर्णय लेती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कोई अन्य सेवा भी इस अध्ययन में शामिल की जाए तो इस संकल्प में संशोधन करके इसे भी इस अध्ययन की परिधि में ले लिया जाएगा।

3. समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विनियमित करेगी । यह समिति आवश्यक सूचना और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए जहां भी अपेक्षित हो उप-समितियों का गठन तथा यदि आवश्यक हो तो सहयोजित सदस्यों को नियुक्त कर सकती है ।

4. समिति सम्बद्ध विचारधारा वाले मीडिया विशेषज्ञों और अन्य वर्गों से परामर्श कर सकती है ।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और जब भी आवश्यक समझा जाए यह अपनी बैठक कर सकती है परंतु यदि समिति मामले के समुचित तथा व्यापक अध्ययन के लिए आवश्यक समझे तो देश में ऐसे किसी अन्य स्थान का दौरा कर सकती है ।

6. इस समिति का कार्यकाल 6 माह होगा । तथापि समिति यथा-शीघ्र परन्तु इसकी पहली बैठक की तारीख से तीन माह की अवधि के अन्दर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

7. समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी परंतु गैर-सरकारी सदस्य-वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5-9-60 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 6(26)-ई-4/59 के अनुसरण में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों को मिलने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकार होंगे ।

एस. लक्ष्मीनारायणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi, the 16th April, 1993

No. 15/15/93-Adm.-IV.—The question of streamlining the Indian Broadcasting (Engineers) Service, the Indian Broadcasting (Programme) Service and cadres under the control of the Ministry of Information and Broadcasting including different functional groups and isolated posts in all the media units and organisations under the Ministry has been under consideration for some time past. It has been decided to appoint a High Level Committee to study the aspects relating to the Services and cadres of all the media units and organisations of the Ministry and suggest remedial measures. The Committee is constituted as follows:—

1. Shri U.C. Agarwal	Chairman,	(Retd. Secy., Deptt. of Personnel)
2. Lt.-Gen. K. Balram	Member	(Retd. Adjutant General)
3. Smt. V.S. Rama Devi	Member	(Retd. Secy., Leg. Deptt.)
4. Dr. N. Bhaskara Rao	Member	(Media expert)
5. Shri Girish Karnad	Member	(Chairman, Sangeet Natak Academy)
6. Shri. S.C. Mahalik, Additional Secretary & Financial Adviser, Min. of I&B	Member	
7. Shri K.A. Varadan, Additional Secy, Ministry of I&B	Member	
8. Shri S.K. Malhotra, A.D.G.(A), D.G. Doordarshan	Member-Secrtary.	

2. The terms of reference of the Committee will be as follows:—

(a) To enquire into and examine the present state and structure of the Services, cadres, different functional groups and isolated posts in all the media units and organisations and suggest measures for restructuring them in a manner conducive to better cadre management;

(b) To enquire into the present state of the Services, cadres and posts in all the media units and organisations with reference to training methods and facilities available to the officers and staff and to suggest appropriate measures to draw up concrete training programmes of the officers and staff so as to inculcate the required sense of professionalism:

(c) To study the present delegation of powers, both administrative and financial, between Ministry and the various media units and organisations, and among various officers in various wings and offices of the media units and organisations and among their various subordinate offices, and to suggest suitable delegation and other changes to ensure smooth functioning of the machinery and achieve maximum efficiency;

(d) To suggest methods by which better systems management can be achieved in all the media units/organisations under the Ministry ; and

(e) To study the working of the Field Publicity Organisation and the Song and Drama Division and to suggest measures to make these media units more purposeful and effective.

If Government decide later that any other Service in the Ministry of Information and Broadcasting should also be covered by the study, the same will be brought within the ambit by an amendment to this Resolution.

3. The Committee will regulate its own procedure. It may set up sub-committees where required and co-opt members, if necessary, to provide necessary information and technical expertise.

4. The Committee may consult media experts and other sections of interested opinion.

5. The Committee will have its headquarters at New Delhi and meet as often as considered necessary, but it may visit such other places in the country as considered necessary for proper and comprehensive study of the matter.

6. The term of the Committee will be six months. However, the Committee may submit an interim report as early as possible but within a period of three months from the date of its first meeting.

7. The membership of the Committee will be honorary but non-official members will be entitled to travelling and daily allowance in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. F.6(26)-E.IV/59 dated 5-9-60 as amended from time to time, as for High Powered Committee.

S. LAXMI NARAYAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993